ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 214-217

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

विधवाओं की समाज में भागीदारी

मंजीत सिंह

शोध अधयेता– समाजशास्त्र विभाग, टी0डी0 कालेज– जौनपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 29.06.2020, Revised- 06.07.2020, Accepted - 12.07.2020 E-mail: manjeetsinghbhu2016@gmail.com

सारांश : *सामाजिक क्रिया कलापों में विधवा महिला की सहभागिता, एक विवाहित महिला की सहभागिता से भिन्न होती हैं। विधवा महिला को विवाहित महिला की अपेक्षा सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के कई सारे अनुष्ठानों से वंचित रहना पड़ता हैं, विधवा होने के कारण उनके सम्मान में भी कमी आती हैं क्योंकि दुर्भाग्य कि भारत वर्ष में जीवित प्रति के सम्मान से, महिला का सम्मान जोड़ा जाता है। विधवा होने की मार आर्थिक मोर्चे पर भी पड़ती है यहॉ परिवार की रोजी–रोटी चलाने की मुख्य जिम्मेदारी उन्ही पर आ जाती है। ऐसे में आश्रितों की संख्या ज्यादा होने से उन्हें कृषक, खेतिहर मजदूर या मजदूर के रूप में दीर्घावधि समय तक काम करना पड़ता है। पुरूष के न हाने के कारण सरकार प्रदत कई योजनाओं जनधन, पेंशन आदि के लिए 5–6 किमी0 आने–जाने में उन्हें बहुत समस्या आती हैं। नतीजतन कई बार तो इन सब से वंचित भी रहती हैं। ये महिलायें प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल आदि पर भी अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं। ऐसे में हैरत नही कि कई विधवा महिलायें मंदिरो की सीढ़ियो के किनारे बैठ, हाथ पसारे दिन भर भीख मॉगती और उसी से अपना पेट भरती है। इसके बाद नयी सुबह से फिर जिन्दगी जीने के लिए जद्दोजहद शुरू हो जाती है। गरीबी, बुढ़ापा व विधवापन का दुःख किसी भी जीते–जागते इंसान को तोड़ने के लिए बहुत है, ऐसे में परिवार व समाज की जिम्मेदारियॉ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विधवा महिलाओं को इस तरह की दीन–हीन स्थितियों से बाहर निकालने की आवश्यकता है जिससे वह अपने जीवन को बेकार न समझकर अपने व अपने पूरे परिवार का पर पूरा ध्यान दे पायें। विधवाओं एवं निःशक्त महिलाओं का समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु गैर सरकारी संगठन को गहनीय भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकारी प्रयासो के बाद भी समाज में विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिती शोचनीय है।*

कुंजीभूत शब्द– सहभागिता, क्रया कलापों, दुर्भाग्य, दीर्घावधि, जिम्मेदारियॉं, आवश्यकता, खेतिहर मजदूर ।

मैनें अपने शोधकार्य के दौरान विधवा महिलाओं की समाज में भागीदारी के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण जाना है, उसको एक–एक प्रश्न उनके उत्तर एवं प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यहां स्पष्ट किया गया हैं।

किन कारणों से आप धार्मिक त्योहारों को मनाती हैं?

विधवा महिलाओं से धार्मिक त्योहारों में उनकी भागीदारी ज्ञात करने के लिए साक्षात्कार के दौरान प्रश्न पूछे गए प्राप्त उत्तरों के आधार पर उनका विश्लेषण आगे किया गया है।

तालिका–1

धार्मिक त्योहारों में विधवा महिलाओं की भागीदारी

क0सं0	कारण	उत्तरादाताओ की संख्या	प्रतिशत
1.	धार्मिक त्योहारों में विश्वास नहीं करती	0	0
2.	धार्मिक त्योहारों में विश्वास करती है	31	13.8
3.	आत्मा की शुद्वि के लिए	171	76.0
4.	आत्म संतोष के लिए	23	10.2
	योग	225	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 13.8 प्रतिशत विधवा महिलायें धार्मिक त्योहारो में विश्वास किरती हैं इसलिए उनमें भाग लेती हैं 76.0 प्रतिशत विधवा महिलायें आत्मा की शुद्वि के लिए धार्मिक त्योहारों में भग लेती हैं तथा 10.2 प्रतिशत विधवा महिलायें आत्मसंतोष के लिए धार्मिक त्योहारों में भाग लेती हैं।

क्या आप मंदिर जाती हैं?–प्रस्तुत शोध–पत्र काशी के विधवा महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है। काशी धार्मिक क्षेत्र है और यह मंदिरों एवं त्योहारों का शहर कहा जाता हैं। यहॉ विश्व के हर कोने से तीर्थयात्री मंदिरो में दर्शनार्थ आते हैं। ऐसी अवस्था में साक्षात्कार के दौरान विधवा महिलाओं से वह मंदिर जाती है कि नही प्रश्न पूछा गया और प्राप्त उत्तरों का तथ्यपरक विश्लेषण अधोलिखित तालिका के माध्यम सं किया गया हैं।

तालिका–2

क्या आप मंदिर जाती हैं?

क0सं0		उत्तरादाताओ की संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	215	95.6
2.	नही	10	4.4
	योग	225	100.0

उपरोक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 95.6 प्रतिशत विधवा महिलायें मंदिर जाती है तथा 4.4 प्रतिशत विधवा महिलायें मंदिर नही जाती हैं।

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

क्या आप सतसंग में भाग लेती हैं?– विधवा महिलाओं से उनके सतसंग में भाग लेने से संम्बंधित प्रश्न पूछे गये प्राप्त उत्तरों का तथ्यात्मक विश्लेषण अग्रलिखित तालिका के माध्यम से किया गया हैं।

तालिका–3

क0सं0		उत्तरादाताओ की संख्या	प्रतिशत
1.	भाग लेती है	54	24.0
2.	भाग नही लेती है	0	0
3.	समय का अभाव	171	76.0
4.	अन्य	0	0
	योग	225	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 24.0 प्रतिशत विधवा महिलायें सतसंग में भाग लेती हैं 76.0 प्रतिशत विधवा महिलायें सतसंग में भाग नही लेती है क्यों कि उनके पास समय का अभाव रहता है।

क्या आप तीर्थ यात्रा पर जाती हैं?– विधवा महिलाओं से उनके तीर्थयात्रा संम्बंधी क्रियाकलापों से सम्बंधित प्रश्न पूछे गये जिसके उत्तरों का विश्लेषण अधोलिखित तालिका के माध्यम से किया गया हैं।

तालिका–4

क0सं0		उत्तरादाताओ की संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	221	98.0
2.	नही	4	1.8
3.	योग	225	100.0
	यदि नही तो कारण		
	विश्वास नहीं करती	4	100.0
	आर्थिक समस्या के कारण	0	0
	बुढ़ापा के कारण	0	0
	योग	4	100.0

उपरोंक्त सारणीं के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 98.2 प्रतिशत विधवा महिलायें तीर्थयात्रा पर जाती हैं और 1.8 प्रतिशत विधवा महिलायें तीर्थयात्रा पर नही जाती हैं और जो विधवा महिलायें तीर्थयात्रा पर नहीं जाती हैं तो उनमें 100 प्रतिशत विधवा महिलायें तीर्थयात्रा पर विश्वास नहीं करती हैं उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कहां जा सकता है कि 98.2 प्रतिशत विधवा महिलायें तीर्थयात्रा पर जाती हैं।

क्या आप धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहारो में भाग लेती है?– अध्ययन क्षेत्र में विधवा महिलाओं से धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्योहारों में भागीदारी सम्बन्धी प्रश्न किये गये जिसपर विधवा महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया का तथ्यपरक विश्लेषण अधोलिखित सारणी के माध्यम से किया गया है।

तालिका–5

क्या आप धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहारो में भाग लेती है?

क्र0सं0		उत्तरादाताओ की संख्या	प्रतिशत
1.	कभी नहीं	163	72.4
2.	कभी–कभी	62	27.6
3.	अक्सर	0	0
	योग	225	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 72.4 प्रतिशत विधवा महिलायें धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्योहारो में भाग नही लेती हैं तथा 27.6 प्रतिशत विधवा महिलायें धार्मिक कार्यक्रमो एवं त्योहारों में कभी–कभी भाग लेती हैं। उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 72.4 प्रतिशत विधवा महिलायें धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्योहारों में कभी भाग नहीं लेती।

विधवा होने पर जीवन में आये परिवर्तन – अध्ययन क्षेत्र में विधवा महिलाओं से साक्षात्कार लेते समय विधवा होने पर उनके जीवन में आये परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गए और इस प्रश्न पर विधवा महिलाओं का जो उत्तर मिला उसका तथ्यपरक विश्लेषण अधोलिखित तालिका के माध्यम से किया गया है।

तालिका–6

विधवा होने पर जीवन में आये परिवर्तन

क्र0सं0		उत्तरादाताओ की संख्या	प्रतिशत
1.	पोशाक में परिवर्तन	21	9.1
2.	सिन्दूर नही लगाती	–	–
3.	मंगलसूत्र धारण नहीं करती	0	0
4.	चूड़ी नही पहनती	–	–
5.	सफेद व हल्के रंग के वस्त्र धारण करती हैं	–	–
6.	सब में परिवर्तन	204	90.7
	योग	225	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 9.1 प्रतिशत विधवा महिलाओं के विधवा होने पर पोशाक में परिर्वतन आ गया और 90.7 प्रतिशत विधवा महिलाओं के जीवन में विधवा होने पर सब कुछ परिवर्तित हो गया।

विधवाओं के परम्परागत जीवनशैली का आपने कितना उल्लंघन किया?– आज का युग उत्तरआधुनिकता का युग है जिसमें सभी व्यक्तियों के खान–पान पोशाक, व्यवसाय, रहन–सहन आदि में काफी बदलाव आया है ऐसी अवस्था में विधवा महिलाओं से प्रश्न पूछा गया कि आपने विधवाओं के परम्परागत जीवनशैली का कितना उल्लंघन किया? इस प्रश्न के जवाब में विधवा महिलाओं से जो उत्तर प्राप्त हुए उसका तथ्यपरक विश्लेषण अग्रलिखित सारणी के माध्यम से किया गया है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

तालिका–7

क्र0सं0		उत्तरादाताओ की संख्या	प्रतिशत
1.	सब तरह के पोशाक पहनती हैं	153	68.0
2.	सब तरह के भोजन करती हैं	27	12.0
3.	शादी के मण्डप में उपस्थित रहती हैं	19	8.4
4.	गहने पहनती हैं	0	0
5.	उपर्युक्त मे से कुछ नहीं करती	26	11.6
	योग	225	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 68.0 प्रतिशत विधवा महिलाएँ सब तरह के पोशाक पहनती हैं। 12.0 प्रतिशत विधवा विधवा महिलायें सभी तरह के भोजन करती हैं। 8.4 प्रतिशत विधवा महिलायें शादी के मण्डप में उपस्थित रहती हैं और प्रसाद भी बनाती हैं और 11.6 प्रतिशत विधवा महिलायें उपर्युक्त में से कुछ नहीं करती हैं।

पेंशन योजना से लाभान्वित विधवाएं–वर्तमान समय में मानव सभ्यता उत्तर आधुनिकता के मुहान पर खड़ी है। उत्तर आधुनिकता ने पूँजीवाद को बड़े स्तर पर बढ़ाया है। जहाँ सम्पन्नता और विपन्नता की खाई को और अधिक बढाने में मदद की है। इस प्रकार देखा जाय तो उक्त प्रक्रिया ने कमजोर वर्गो की संख्या को काफी बढ़ाया है। वर्तमान समय में कमजोर वर्गों की श्रेणी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों, महिलाओं, विधवा महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि को सम्मिलित किया गया है। कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं पर बड़े स्तर पर ध्यान देकर उन्हें हाशिए से केन्द्र में लाने हेतू विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से एक सार्थक पहल की गयी है। जिसमें विधवा महिलाओं के लिए निम्न योजनाएँ बनायी गयी है जो कि अधोलिखित हैं।

1. परिवारिक पेंशन– पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में या सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके परिवार को स्वीकृत किया जाता है बशर्ते वह अपने मृत्यु के समय पेंशन प्राप्त कर रहा था। पारिवारिक पेंशन स्वी.त करने के लिए परिवार को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्व किया जायेगा।

श्रेणी–1

विधवा या विधुर, मृत्यु या पुनर्विवाह जो पहले हो तक।
पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री शामिल) विवाह, पुनर्विवाह के दिन तक या कमाना शुरू करने के दिन या 25 वर्ष की उम्र पहुँचने तक जो पहले हो।

श्रेणी– 2

अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री जो श्रेणी– 1 में शामिल नहीं हो, विवाह/पुनर्विवाह के दिन तक या कमाना शुरू करने के दिन तक या मृत्यु के दिन तक जो पहले हो।
माता–पिता जो कि पूर्णरूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे, जब वह जिन्दा था। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी ने अपने पीछे विधवा या बच्चे नहीं छोड़ा हो।
माता–पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन मृत्यु के दिन तक जारी रहेगी।

श्रेणी–2 में अविवाहित/विधवा तलाकशुदा पुत्रियों तथा माता–पिता को पारिवारिक पेशन तभी देय होगी, जब **श्रेणी–1** के सभी सदस्यों की पात्रता समाप्त हो जायेगी और कोई भी असक्त बच्चा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए नही होगा। विभिन्न श्रेणियों में बच्चों को पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के अनुसार देखनी होगी, और उनमें से छोटा पारिवारिक पेंशन का पात्र नही होगा, जब तक कि उससे बड़ा उस श्रेणी में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र नही हो जायेगा।

पारिवारिक पेंशन की दर–

(क) सामान्य दर–पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित अंन्तिम परिलब्धियो का 30 प्रतिशत होता है।

(ख) बढ़ी हुई दर–यदि कर्मचारी की मृत्यु के 07 साल की निरंतर सेवा के उपरान्त हो जाता है तो उक्त कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिवारिक पेंशन की दर उसके द्वारा प्राप्त अन्तिम परिलाब्धियों का 50 प्रतिशत होता हैं। इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारी की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 07 वर्ष की अवधि या मृत कर्मचारी के 67 वर्ष की उम्र पूर्ण करने की तिथि जो भी कम हो तक भुगतान योग्य होगी। पारिवारिक पेंशन सरकारी कार्मिक की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से भुगतान योग्य हो जाती है तथा पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर की समाप्ति के उपरान्त दी जाने वाली पेंशन राशि सामान्य दर से ही दी जायेगी।

(ग) कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर 10 वर्षो तक देय होगी।

2.पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना– पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना व्यावहारिक है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का कुल भौतिक लक्ष्य 23, 49, 898 निर्धारित हैं। प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह रू0 500/– की धनराशि दी जाती है।

3.पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह पर दम्पत्ति को पुरस्कार–पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुस्कार योजना के अन्तर्गत निराश्रिगत महलियें जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

पुरस्कार दिये जाने की योजना संचालित है बशर्ते कि वह आयकरदाता न हो, दम्पत्ति को विवाह से एक वर्ष के अन्तर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र जिला पर्यवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। एवं जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है एवं जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त दम्पत्ति को रू0 11000/– का पुरस्कार दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 45 लाख के प्राविध ाान के सापेक्ष रू0–44.99 लाख का आवंटन 409 लाभार्थियों हेतु किया गया।

4. पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं की पुत्री से विवाह हेतु अनुदान योजना– पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला, पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रू0–10000/वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछ़डी वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में समानान्तर योजना संचालित होने एवं अनुदान राशि रू0–20000/– हाने के कारण योजनान्तर्गत अपेक्षित प्रगति नही होती है। उच्चस्तरीय निर्णय के क्रम में योजना समाज कल्याण विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

5. राष्टीय वृद्वावस्था पेंशन योजना– भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पोषित समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित वृद्वावस्था पेंशन योजना में अभी तक 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे निर्धन निराश्रित वृद्वजनों को वृद्वावस्था पेंशन अनुमन्य है जिनकी शहरी क्षेत्र में मासिक रू0 1000/– मात्र है तथा ग्रामीण क्षेत्र में उनके पास 3.25 एकड़ भूमि न हो इस योजनान्तर्गत प्रतिमाह रू0 300/– पेशन दिये जाने का प्रावधान है।

वृद्वावस्था पेंशन योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत लाभार्थियों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश में जनगणना के आकड़ों के अनुसार, 65 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के वृद्वजनों की संख्या लगभग 9 प्रतिशत है, यह सभी आकड़ें वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है। उपरोक्त आकड़ों के अनुसार, सवा तीन एकड़ से कम जमीन वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के किसानों की संख्या 6 से 7 लाख के मध्य अनुमानित है। जिनके लिए प्रतिमाह पेंशन दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। इनको रू0 300/–की दर से पेंशन दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। इनको रू0 300/– की दर से पेंशन दिये जाने की दशा में रू0 252/– करोड़ धनराशि की वार्षिक आवश्यकता पड़ेगी।

6. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना– योजना के उद्देश्य– गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0)रहने वाली विधवाओं को एक सम्मानित जीवन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।

लाभार्थियो की योग्यता– 40–79 वर्ष आयु वर्ग की विधवायें।

योजना के तहत लाभ– 300 रू0 प्रतिमाह

चयन प्रक्रिया– शहरी निकायों/गांव पंचायत आवेदन को सम्बन्धित यू0एल0बी0/जनपद पंचायतो को उनकी सिफारिश के साथ आगे बढ़ायेंगे। संबंधित शहरी निकायों/जनपद पंचायतों को इसे स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार है।

निष्कर्ष– भारत में ब्रिटिश काल से लेकर अब तक विधवा महिजाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक संवैधानिक तथा सामाजिक विधानो के स्तर पर प्रयास किये गये हैं। इसके साथ–साथ अनेंको कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जाती हैं। फिर भी देखा जा रहा है कि विधवा महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार, अपराध जैसी समस्यायें सुलझने की बजाय और बढ़ रही हैं। मुख्यतः इसका कारण सामाजिक–सास्कृतिक अधिक है, चूकि अभी भी समाज पर धर्म ,परंपराओं तथा पुरूष अधिकार आदि का प्रभाव है। इसी के प्रभाव स्वरूप कानून प्रभावशाली नहीं हो पा रहा हैं। विधवा महिलायें इतनी शक्तिशाली नही हैं कि वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें तथा पुरूष तथा समाज उन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सहयोग नही कर रहा है। यही कारण है कि 60 वर्षो में जितना विकास किया या स्थिती में सुधार होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Kumari Sangeeta, Hindu Vidhava Mahilayen Ek Samajshastriya adhyayan.
2. Martha Alter chen (2002), Common Status of Women Report, New Delhi.
3. Pathak Bindeshwar and Tripathi satyendra, Widows in India.
4. Savita Joshil,s, (1995) Women workers at the Grass Root Level -A Socialogical study, Ashish Publishing House, New Delhi.
5. World Health orginisation, (2001-02), WHO Report Geneva.
6. Yadav, J.P (2004) Elderty in India: The struggle to survive, New Delhi: Anand Publication.

*****